जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
39/2016

विविध बैंक प्रकरण सं0 39/2016 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जवाहरनगर श्रीगंगानगर बनाम श्री सरदारा राम पुत्र श्री केसरा राम नजदीक रामदेव मन्दिर, लालगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.07.2016

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री राजेश अरोड़ा, मैनेजर सार्क, श्रीगंगानगर उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 05.07.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि श्री राजेश अरोड़ा, मैनेजर सार्क, श्रीगंगानगर का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी श्री सरदाराराम पुत्र श्री केसराराम नजदीक बाबा रामदेव मन्दिर,लालगढ जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) दिनांक 07.08.2012 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री सरदाराराम पुत्र श्री केसराराम द्वारा अपनी अचल सम्पति हाउस न0 एस–1, वार्ड न0 1 भटठा कॉलोनी, लालगढ़ जाटान तहसील श्रीगंगानगर साईज 45 इन्टू 45 कुल 2085 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.09.2015 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.09.2015 को कुल 3,91,604रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.10.2015 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सरदाराराम पुत्र केसराराम नजदीक बाब रामदेव मन्दिर, लालगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति हाउस न0 एस–1, वार्ड न0 1 भटठा कॉलोनी, लालगढ़ जाटान तहसील श्रीगंगानगर साईज 45 इन्टू 45 कुल 2085 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी सरदाराराम पुत्र केसराराम नजदीक बाब रामदेव मन्दिर, लालगढ जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) दिनांक 07.08.2012 को स्वीकृत किया गया था।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 39/2016

A3/2

ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सरदाराराम पुत्र केसराराम नजदीक बाबा रामदेव मन्दिर, लालगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा अपनी अचल सम्पति हाउस न0 एस–1, वार्ड न0 1 भटठा कॉलोनी, लालगढ़ जाटान तहसील श्रीगंगानगर साईज 45 इन्टू 45 कुल 2085 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.09.2015 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.10.2015 डाक द्वारा भिजवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध एस.आर.ओ. 'एसटी' डिविजनल श्रीगंगानगर की फोटो प्रति रिपोर्ट अनुसार एसपीएम लालगढ़ द्वारा रजिस्ट्री न0 आरआर 7840040031 एन दिनांक 07.10.2015 को वितरित की गयी है। इस प्रकार नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी सरदाराराम द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक की ऋण राशि की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सरदाराराम पुत्र केसराराम नजदीक बाबा रामदेव मन्दिर, लालगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति हाउस न0 एस–1, वार्ड न0 1 भटठा कॉलोनी, लालगढ़ जाटान तहसील श्रीगंगानगर साईज 45 इन्टू 45 कुल 2085 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सरदाराराम द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति हाउस न0 एस–1, वार्ड न0 1 भटठा कॉलोनी, लालगढ़ जाटान तहसील श्रीगंगानगर साईज 45 इन्टू 45 कुल 2085 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त मकान का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

1269-70
12-7-16

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर